प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **198 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)

जगन्नाथ धोबी पुत्र स्व. ऊंकार लाल धोबी निवासीः ईटाली, तहसील–मावली, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर

दिनांकः 24/12/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 198 / 25 / 1223–24 दिनांक 01.12.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई / 2025 / 612 दिनांक 11.12.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सतर्कता में दर्ज प्रकरण की कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां चाही गई थी। प्रकरण में की गई कार्यवाही में सूचना प्राप्त करने हेतु कार्यालय के पत्रांक 578 दिनांक 21.11.2025 से पत्र जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.12.2025 का कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना प्राप्त कर ली गई है। अतः उक्त अपील निरस्त कराने का श्रम करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 05.12.2025 से सूचना प्राप्त कर ली गई है। प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय में प्रेषित प्रत्युतर के विपरीत अपीलार्थी की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए, ऐसी स्थिति में यह माना उचित होगा है कि वांछित जवाब अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है एवं वह प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील होने से खारिज की जाती है। साथ ही सहायक लोक

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मावली को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार नियमित समयावधि में सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24-12-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर